न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-78/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

अनिल कुमार महतो बनाम पूर्ण चन्द्र महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – अनिल कुमार महतो, पिता–स्व० नन्दो महतो, ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे, (राँची) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता – पूर्ण चन्द्र महतो, पिता–स्व० लुलू महतो, ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे, (राँची), जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री विशश्वर प्रसाद।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–24/03/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता पूर्ण चन्द्र महतो, पिता–स्व० लुलू महतो, ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे (राँची), जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
रांगामाटी	सिल्ली	48	14	27	0.10 एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–421(ii) दिनांक–20/07/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम जोगना महतो वगैरह है।

(2) खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध पिता पुत्र का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम जोगना महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकवा–15.94 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2008–2009 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी कायमी के आधार है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात आवेदक के पास रकवा–3.00 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घर बनाने हेतु विक्रय करना चाहते है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दानो कुरमी समुदाय के है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही ग्राम वो थाना अन्तर्गत निवास करते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता अनिल कुमार महतो, पिता–स्व० नन्दो महतो, ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे (राँची), जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता पूर्ण चन्द्र महतो, पिता–स्व० लुलू महतो ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे (राँची), जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–25/06/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता अनिल कुमार महतो, पिता–स्व० नन्दो महतो, ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे (राँची), जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता पूर्ण चन्द्र महतो, पिता–स्व० लुलू महतो ग्राम–रांगामाटी, पो०–पोगड़ा, थाना–सिल्ली, प्रखण्ड–राहे

(राँची), जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रांगामाटी	सिल्ली/48	14	27	0.10 एकड़

लेखापित एवं संशोधित।

30/08/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

30/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।